

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 164/2022
निर्णय दिनांक : 20.03.2024

1. केदारलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
2. राधारमण पुत्र श्री रामनारायण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।
3. गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र केदारलाल जाति महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।

वादी

बनाम

1. श्रीमती आशा पाण्डे पत्नी श्री शशीकान्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रताप नगर सांगानेर जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वाद पत्र बाबत तकासमा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 53, 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादीगण ने वाद पत्र बाबत तकासमा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया। न्यायालय द्वारा वादी केवाद में दिनांक 19.05.2023 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार तहसील सांगानेर को निर्देशित किया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार रामनारायण पुत्र फूलचन्द की विरासत क आधार पर वादी संख्या 2 लगायत 4 का नाम अंकित करते हुए उभयपक्षों की उपस्थिति में भूमि मिट्स एण्ड बाउड्स एवं कब्जे काश्त के आधार पर तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा एवं भूमि का लगान अलग से कायम किया जावे तथा खाता पृथक-पृथक से कायम किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तैयार कर न्यायालय में दिनांक 09.06.2023 से पूर्व भिजवाया जावे। तहसीलदार सांगानेर को कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन तीन प्रतियो मे पेश किये जाने का आदेश पारित किया जिस पर तहसीलदार सांगानेर द्वारा पत्र



(M)


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (सांगानेर)

कमाक भु0अ0/2024/डिक्री/1136 दिनोंक 09.02.2024 के संलग्न कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शे तीन प्रतियो मे प्रस्तुत की जो शामिल गिसल है।

वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में तहसीलदार से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया है। वकील प्रतिवादीगण ने तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट में कोई आपत्ति पेश नहीं की। हमने बहस उपस्थित उभयपक्षकारान, पत्रावली व राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट का अधोपान्त अवलोकन करने व बहस का सगौर मनन करने पर वाद वादीगण तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट मुताबिक वाद अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाके ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 46 पुराना 31 के हाल खसरा नम्बर 4329 रकबा 0.27 हैक्टियर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-


राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	ख.न.	रकबा	किस्म भूमि	लगान	खाता संख्या	खातेदारों का नाम व पिता का नाम
1	4329	0.27	चाही ए	8.64	46	आशा पाण्डे पत्नी शशीकान्त शर्मा हिस्सा 2/9, जाति ब्राह्मण सा. 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रतापनगर सांगानेर खातेदार, केदारलाल पुत्र रामेश्वर लाल गोयल हिस्सा 7/18 जाति अग्रवाल महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर कृष्ण कुमार गोयल पुत्र केदारलाल हिस्सा 7/72 गोपाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल हिस्सा 7/72 राधारमण पुत्र श्री रामनारायण हिस्सा 7/36 जाति अग्रवाल निवासी बी 53 तुलसी दास की बगीची जनता कॉलानी जयपुर खातेदार
कुल किता		0.27 रकबा				


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खातेदारो का नाम/पिता मय पता	खरारा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	आशा पाण्डे पत्नी शशीकान्त शर्मा हिस्सा पूर्ण, जाति ब्राह्मण सा. 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रतापनगर सांगानेर खातेदार	4329 मि	0.06	चाह ए	1.92
	केदारलाल पुत्र रागेश्वर लाल गोयल हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल महाजन निवासी वी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, कृष्ण कुमार गोयल पुत्र केदारलाल हिस्सा 1/8, गोपाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल हिस्सा 1/8, राधारमण पुत्र श्री रामनारायण हिस्सा 1/4 जाति अग्रवाल निवासी वी 53 तुलसी दास की बगीची जनता कॉलानी जयपुर खातेदार	4329मि	0.21	चाही ए	6.72

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे। इसी अनुरूप अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।


 उप (विष्णु सिंह) कारी
 जयपुर-द्वितीय (सांगानेर),
 जयपुर

अंतिम डिक्री मुकदमा इव्त्दाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाव्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 164/2022

निर्णय दिनांक : 20.03.2024

1. केदारलाल पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन निवासी वी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
2. राधारमण पुत्र श्री रामनारायण जाति महाजन निवासी 53 जनता कॉलानी जयपुर।
3. गोपाललाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल जाति महाजन निवासी वी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र केदारलाल जाति महाजन निवासी वी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर।

वादी

बनाम

1. श्रीमती आशा पाण्डे पत्नी श्री शशीकान्त शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रताप नगर सांगानेर जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

**वाद पत्र बाबत तकासमा एवं घोषणा अन्तर्गत धारा 53, 88
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सांगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाके ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नया 46 पुराना 31 के हाल खसरा नम्बर 4329 रकबा 0.27 हैक्टेयर का तकासमा मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार किया जाता है:-

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के अनुसार इन्द्राज						
क्र. सं.	ख.न.	रकबा	किस्म भूमि	लगान	खाता संख्या	खातेदारो का नाम व पिता का नाम
1	4329	0.27	चाही ए	8.64	46	आशा पाण्डे पत्नी शशीकान्त शर्मा हिस्सा 2/9, जाति ब्राह्मण सा. 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल



उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

					गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रतापनगर सांगानेर खातेदार, केदारलाल पुत्र रामेश्वर लाल गोयल हिस्सा 7/18 जाति अग्रवाल महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर कृष्ण कुमार गोयल पुत्र केदारलाल हिस्सा 7/72 गोपाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल हिस्सा 7/72 राधारमण पुत्र श्री रामनारायण हिस्सा 7/36 जाति अग्रवाल निवासी बी 53 तुलसी दास की बगीची जनता कॉलानी जयपुर खातेदार
कुल किता	0.27				
	रकबा				

प्रस्तावित कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार इन्द्राज					
क्र.सं.	खातेदारो का नाम/पिता मय पता	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	आशा पाण्डे पत्नी शशीकान्त शर्मा हिस्सा पूर्ण, जाति ब्राह्मण सा. 53-54 रघुनाथपुरी प्रथम पिंजरापोल गौशाला के सामने श्योपुर रोड प्रतापनगर सांगानेर खातेदार	4329 मि	0.06	चाह ए	1.92
	केदारलाल पुत्र रामेश्वर लाल गोयल हिस्सा 1/2 जाति अग्रवाल महाजन निवासी बी-10 तुलसीदास की बगीची, जनता कॉलानी जयपुर खातेदार, कृष्ण कुमार गोयल पुत्र केदारलाल हिस्सा 1/8, गोपाल गोयल पुत्र केदारलाल गोयल हिस्सा 1/8, राधारमण पुत्र श्री रामनारायण हिस्सा 1/4 जाति अग्रवाल निवासी बी 53 तुलसी दास की बगीची जनता कॉलानी जयपुर खातेदार	4329मि	0.21	चाही ए	6.72

तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्तानुसार विवादग्रस्त आराजी का तकासमा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट किया जाकर अलग-अलग खाता व लगान कायम किये तथा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्शे की प्रति

(W)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

बाद अनुमोदन उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार सांगानेर को भिजवाई जावे।

खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20.03.2024 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा

मुदई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	1	00

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)